राजकीय ई–मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15 (12) 2022–23/गोप्र/प्रमुवसं–07671/ दिनांक :

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त/ट्री राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक आर.एफ.बी.पी. जयपुर।
3. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी./अरावली वृक्षारोपण परियोजना राजस्थान, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव) उदयपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर)/सरिस्का अलवर)/मुकन्दरा (कोटा)।
8. मुख्य वन संरक्षक वनवर्धन, जयपुर/आर.वी.पी, कोटा/एफ.पी.आर.पी, जयपुर/प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लि.।
9. निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर/निदेशक परिचालन राजस्थान वन विकास निगम लिमिटेड जयपुर।

विषय :– क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम/द्वितीय के कार्यभार के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक क्रमांक : एफ 15 (12) 2022–23/गोप्र/प्रमुवसं–07671/8591–8701/सी दिनांक 09.10.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र समस्त वनाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि:–

" क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम/द्वितीय का कार्यभार अधीनस्थ संवर्ग के अन्य लोक सेवक से संपादित नहीं कराया जावे। क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम/द्वितीय का कार्यभार अत्यन्त आवश्यक/अपरिहार्य परिस्थतियों के मध्यनजर अधीनस्थ संवर्ग के अन्य लोक सेवक को दिया जाना आवश्यक हो तो उप वन संरक्षक द्वारा संबंधित मुख्य वन संरक्षक से लिखित में अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही अधीनस्थ संवर्ग के अन्य लोक सेवक को कार्यभार दिया जावे। संबंधित मुख्य वन संरक्षक इस संबंध में आदेश प्रसारित कर इस कार्यालय को अवगत करावे। क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम/द्वितीय का कार्यभार वनपाल से निम्नतर पद पर कार्यरत लोकसेवक को किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जावें। उपरोक्त आदेशों की दिनांक 09.10.2023 तक पालना किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी के विरूद्ध उपरोक्त आदेशों की दिनांक 09.10.2023 तक पालना किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी के विरूद्ध उपरोक्त आदेशों की अवहेलना की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। "

अतः क्रम संख्या 1 से 4 पर अंकित कार्यालय स्वयं के कार्यालय की एवं क्रम संख्या 5 से 9 पर अंकित कार्यालय अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों (उप वन संरक्षक/वन बन्दोबस्त अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी) की निम्नानुसार संकलित सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें :–

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम/द्वितीय का कार्यभार अधीनस्थ संवर्ग के अन्य लोक सेवक के द्वारा संपादित किए जाने की सूचना निम्न प्रपत्र में।

क्र.सं.	नाम कार्यालय	क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम/द्वितीय का पदनाम	अधीनस्थ संवर्ग के अन्य लोक सेवक के द्वारा कार्य संपादित किए जाने पर विवरण			
			नाम	पद	मुख्य वन संरक्षक का आदेश कमांक व दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आदेश संलग्न करने का कष्ट करें।

उपरोक्त सूचना इस कार्यालय को तीन दिवस में प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राजीव चतुर्वेदी)
मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15 (12) 2022–23/गोप्र/प्रमुवसं–07671/8743/C दिनांक : 26.10.2023

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

H:\RO Ist to Ro 2ed charge - compliance.docx